



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124933

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5167 वर्ष

2026

राशिद खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सर्वेश कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 931/2018 धारा 3/7, ई.सी. एक्ट, धारा 409, 417, 120-B आईपीसी, धारा 66(सी) आई.टी. एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन कटघर, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत के लिए दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फंसाया गया है। उनका कहना है कि इस मामले में एफआईआर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने आवेदक समेत सात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। आरोप है कि जुलाई 2018 में डेटाबेस में आधार नंबरों में हेरफेर करके गैर-कानूनी तरीके से राशन निकाला गया था। आगे यह भी कहा कि आवेदक सिर्फ एक उचित दर की दुकान का डीलर है और उस पर लगे आरोपों से उसका कोई लेना-देना नहीं है; उसने अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए किसी भी अपराध को नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आधार नंबरों के साथ छेड़छाड़ का आरोप सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है, और वैसे भी, आवेदक न तो एक्सपर्ट है और न अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही उसे डेटाबेस में आधार सीडिंग की जानकारी बदलने का अधिकार है। इसके अलावा, इसी तरह के मामले में सह-आरोपी चंदन सिंह जो फेयर प्राइस शॉप पर सेल्समैन था, को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या 3769/2026 के ज़रिए दिनांक 5.5.2026 के आदेश से अग्रिम जमानत दी थी। यह भी कहा गया कि इस मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ़्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से तय करते हुए कहा है कि अग्रिम जमानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित मामलों में, यह मुकदमे के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी परीक्षण तक अग्रिम जमानत जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराना-धमकाना की संभावना, और न्याय से भागने जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम जमानत से जुड़े स्थापित विधिक सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह प्रार्थना पत्र देने वाले को परीक्षण तक अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

8. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक-राशिद खान को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर परीक्षण न्यायालय/विवेचना अधिकारी जैसा भी मामला हो, के समक्ष पेश होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देने पर परीक्षण खत्म होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश होगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, आवेदक को दी गई सुरक्षा रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

3 जून, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।